Result Mitra Daily Magazine

उच्च समुद्र संधि

हालिया संदर्भ :

- भारत ने 25 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में "जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र" यानि BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'उच्च समुद्र संधि' भी कहा जाता है।
- वर्तमान तक 105 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि 14 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। कम से कम 60 देशों द्वारा औपचारिक अनुसमर्थन के 120 दिनों बाद यह संधि लागू होगी।

उच्च समुद्र (High Sea) :

- इसमें महासागरों का लगभग 64% एवं संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 43% हिस्सा शामिल है।
- इसमें लगभग 2.2 मिलियन प्रकार की समुद्री प्रजातियां एवं 1 ट्रिलियन प्रकार के सूक्ष्म जीवों का आवास है।
- इन क्षेत्रों पर किसी का नियंत्रण नहीं है एवं ये सभी देशों के लिए खुले (प्रयोग–योग्य)है।
- इन क्षेत्रों में सभी देशों को नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आर्थिक गतिविधियों आदि की अनुमति होती है।

- किसी के जिम्मेदारी–अधीन नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, जैव–विविधता की हानि, प्लास्टिक प्रदूषण आदि जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
- UN के रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में 17 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा इन क्षेत्रों में फेंका गया था।

संधि का महत्व :

- यह संधि 2023 में संपन्न हुई थी, जो उच्च समुद्र से संबंधित है।
- उच्च समुद्र का तात्पर्य किसी देश के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानि 370 km के बाद के विस्तृत क्षेत्र से होता है।
- किसी देश के समुद्री–तट से 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत क्षेत्र को उस देश का 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) कहलाता है और EEZ से बाहर का क्षेत्र 'उच्च–समुद्र' कहलाता है।
- चूंकि यह क्षेत्र किसी के राष्ट्रीय अधिकार में नहीं आता है, इसलिए संधि का नाम 'BBNJ' है।
- इस संधि के चार उद्देश्य हैं –

1. समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का सीमांकन, जैसे संरक्षित वन्य जीव या संरक्षित वन आदि।
2. समुद्री अनुवांशिक संसाधनों का सतत उपयोग एवं लाभों का उचित बंटवारा,
3. महासागरों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रथा की शुरुआत,
4. क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,

समुद्री–संरक्षित क्षेत्र :

- ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जैव–विविधता सहित महासागरीय प्रणालियां मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है।
- इन क्षेत्रों को महासागरों का राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण में कहा जा सकता है।
- इन क्षेत्रों में गतिविधियां अत्यधिक विनियमित होंगी और संरक्षण प्रयास वन या वन्यजीव क्षेत्र जैसे होंगे।
- IUCN के अनुसार, वर्तमान में केवल 1.44 प्रतिशत उच्च समुद्र ही संरक्षित है।

समुद्री–आनुवंशिक संसाधन :

- समुद्री जीव मनुष्यों के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से उपयोगी हो सकते हैं। संधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि इससे प्राप्त होने वाले मैट्रिक लाभ का न केवल न्याय संगत विभाजन हो बल्कि विभिन्न जानकारियों को बौद्धिक संपदा अधिकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।

पर्यावरण प्रभाव आकलन :

- संधि किसी भी गतिविधि को लागू किए जाने से पहले इसके पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन को अनिवार्य बनाएगी ताकि दुष्प्रभावी गतिविधियों का विस्तार न किया जा सके।

हस्ताक्षर vs अनुसमर्थन :

- किसी संधि पर हस्ताक्षर करने का तात्पर्य यह होता है कि वह देश संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों से सहमत है एवं उनका पालन करने के लिए तैयार है।
- अनुसमर्थन वास्तव में हस्ताक्षर करने से अलग है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई देश संबंधित कानूनी प्रावधानों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमति व्यक्त करता है।
- जब तक कोई देश किसी संधि का अनुसमर्थन/पुष्टि नहीं करता है, (हस्ताक्षर करने के बावजूद) वह उस संधि के प्रति कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता है।

समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) :

- यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो समुद्र एवं महासागरों के व्यवहार एवं वैध उपयोग का रूपरेखा तैयार करता है।
- यह महासागरों के संबंध में राष्ट्रों के कर्तव्यों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है, जिसमें प्रादेशिक समुद्र (तट से 12 नॉटिकल मील) एवं EEZ की परिभाषा भी शामिल है।
- प्रादेशिक समुद्र में संबंधित राष्ट्र के पास पूर्ण अधिकार होता है जबकि EEZ में केवल विशेष संप्रभु आर्थिक अधिकार होते हैं।

Note :– वर्तमान संधि UNCLOS के प्रावधानों के क्रियान्वयन समझौते के रूप में कार्य करेगी।